



प्रेसनोट / सराहनीय कार्य

दिनांक- 30.09.2019 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य।

थाना तरया सुजान-

आज दिनांक 30.09.2019 को पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री विनोद कुमार मिश्र व अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में थाना तरयासुजान पर पंजीकृत मु0अ0सं0 445/19 धारा 302/201 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। विगत दिनांक 16/17.09.19 की रात्रि में ग्राम मठिया श्रीराम निवासी राजकुमार तिवारी उर्फ टुन्ना तिवारी पुत्र हरेराम तिवारी की हत्या कर शव को सिसवा बुजुर्ग स्थित गन्ने के खेत में फेंक दिया गया था जिसके सम्बंध में वादी मुकदमा श्री हरेराम तिवारी की तहरीरी सूचना पर घटना के सम्बंध में थाना तरयासुजान में अभियोग पंजीकृत कर दो टीमों का गठन कर अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु लगाया गया था। गठित टीम द्वारा आज दिनांक 30.09.19 को अभियोग में नामजद/प्रकाश में आये अभियुक्तगण की गिरफ्तारी में सफलता प्राप्त की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम-

1. प्रकाश तिवारी पुत्र स्व0 बृजकिशोर तिवारी साकिन सिसवा बुजुर्ग थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
2. दिलीप सिंह पुत्र राम प्रवेश सिंह साकिन शिवराजपुर चौपथिया थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय-

तीनफेडिया रेलवे स्टेशन दिनांक 30.09.19 समय 06.40 बजे प्रातः

हत्या का मोटिव-

विगत दिनों अभियोग का नामित अभियुक्त रामू मिश्रा पुत्र प्रभुनाथ मिश्रा साकिन कोईन्दहा थाना तरया सुजान विहार प्रदेश से मुकदमे में जेल चला गया था। जेल जाने के बाद मृतक राजकुमार तिवारी उर्फ टुन्ना तिवारी द्वारा रामू मिश्रा की गर्ल फ्रेंड (श्वेता मिश्रा पुत्री स्व0 सत्य प्रकाश मिश्रा साकिन गदाईपट्टी थाना सेवरही जनपद कुशीनगर) से बातचीत करने व मिलने का प्रयास करने लगा किन्तु मिल न सका। जेल से छूटने के बाद जब रामू मिश्रा अपनी गर्ल फ्रेंड से मिला तो गर्ल फ्रेंड श्वेता मिश्रा व टुन्ना तिवारी उपरोक्त द्वारा की जा रही हरकतों के बारे में बताया जिसको लेकर रामू मिश्रा टुन्ना तिवारी से रंजिश रखने लगा तथा उसी रंजिश को लेकर घटना के सायं एक साथ मृतक व अभियुक्तगण शराब पीये तथा रात्रि में गर्लफ्रेंड वाली बात को लेकर आपस में विवाद किये जो बात बढ़ते बढ़ते हत्या तक पहुँची और अभियुक्तगण रामू मिश्रा, प्रकाश तिवारी और दिलीप सिंह मिलकर पटक कर गला दबा कर हत्या कारित कर दिये।

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राहुल कुमार सिंह थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
2. निरीक्षक श्री रामविलास यादव थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
3. हे0का0 रामगोपाल यादव थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
4. का0 अमरमणि थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
5. का0 सोनू कुमार थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
6. का0 अमित मोदनवाल थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

विस्फोटक पदार्थों के विरुद्ध चलाये गये अभियान-

आज दिनांक 30.09.2019 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री विनोद कुमार मिश्र के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में अपराध एव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना पटहेरवा पुलिस द्वारा समऊर बाजार में चेंकिंग के दौरान एक पिकप वाहन संख्या UP 57 AT 3944 से 20 बोरे तथा 16 छोटे बड़े गत्ते में रखे पटाखे जिसमें फुलझड़ी, राकेट, अनार, चकरी आदि (अनुमानित कीमत 8 लाख रुपया) विभिन्न प्रकार के पटाखे बरामद हुए। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर अभियुक्त मुस्तकीम पुत्र स्व0 रमतुल्लाह सा0 मोरवन थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 317/19 धारा 9(ख) विस्फोटक अधिनियम 1884 पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. मुस्तकीम पुत्र स्व0 रमतुल्लाह सा0 मोरवन थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर (गिरफ्तार)

घटना स्थल- समऊर बाजार पुलिस चौकी

बरामदगी का विवरण-

एक पिकप वाहन संख्या UP 57 AT 3944 से 20 बोरे तथा 16 छोटे बड़े गत्ते जिसमें आतिशबाजी वाले पटाखे जिसमें फुलझड़ी, राकेट, अनार, चकरी आदि विभिन्न प्रकार के पटाखे। जिसका अनुमानित कीमत मय वाहन सहित अनुमानित कीमत 08 लाख रूपया है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1-प्र0नि0 हरेन्द्र कुमार मिश्र थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
- 2-उ0नि0 बेदप्रकाश सिंह थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
- 3-हे0का0 दिलीप कुमार सिंह थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
- 4-का0 विवेक कुमार थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
- 5-का0 जितेन्द्र कुमार यादव थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर।

वांछित की गिरफ्तारी-(कुल- 05)

थाना कोतवाली पडरौना-

थाना कोतवाली पडरौना पुलिस द्वारा 02 नफर वांछित 1. एस पी एन दूबे पुत्र भोलानाथ दूबे 2. अविनाश प्रकाश दूबे पुत्र एस पी एन दूबे साकिनान बेदुपार थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर हा0मु0 झुंगवा थाना कसया जनपद कुशीनगर को अन्तर्गत मु0अ0सं0 473/19 धारा 147,323,504,506,352 भादवि व 3(1)द SC/ST एक्ट में गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना सेवरही-

थाना सेवरही पुलिस द्वारा **01 नफर वांछित** नादिर पुत्र शाकिर सा0 दौनहा थाना सेवरही जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक अदद मोटरसाईकिल UP 57 AB 9274 हीरो स्पलेंडर बरामद कर अन्तर्गत मु0अ0सं0 228/19 धारा 279/411 में विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना नेबुआ नौरंगिया-

थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस द्वारा **02 नफर वांछित** 1. पिन्टू गुप्ता पुत्र शारदा गुप्ता, 2. शारदा गुप्ता पुत्र मोतीचंद गुप्ता निवासीगण मिठहा माफी थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर को अन्तर्गत मु0अ0सं0 246/19 धारा 302/201 में गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

वारंटियों की गिरफ्तारी- (कुल-4)

थाना खड्डा-

थाना खड्डा पुलिस द्वारा **2 नफर वारंटी** 1. रामनरेश पुत्र भोला 2. शत्रुघन शर्मा पुत्र मिठाई साकिनान मठिया थाना खड्डा जनपद कुशीनगर को अन्तर्गत मु0नं0 2834/02 धारा 3/5 A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु कुरता अधिनियम में गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना नेबुआ नौरंगिया-

थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस द्वारा **2 नफर वारंटी** 1. जवाहर प्रसाद पुत्र गुरमी सा0 अकबरपुर मंगरुआ कुट्टी थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर को अन्तर्गत मु0नं0 1139/11 धारा 147,323,504,506,427 भादवि 2. संतोष पाण्डेय पुत्र वृज नारायण पाण्डेय सा0 बल कुड़िया उसरा टोला थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर को अन्तर्गत मु0नं0 1499/11 धारा 323,504,506 भादवि में गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➤ जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा **15 नफर अभियुक्तों** को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

➤ कार्यवाही एक नजर में =

- 1- वारंटियों की गिरफ्तारी- (कुल-04)
- 2- वान्छित की गिरफ्तारी- (कुल-05)
- 3- विस्फोटक अधिनियम में की गयी कार्यवाही मु0-01 ,व्यक्ति-01, बरामदगी- पिकप वाहन संख्या UP 57 AT 3944 व 20 बोरे तथा 16 छोटे बड़े गत्ते में पटाखे जिसमें फुलझड़ी, राकेट, अनार, चकरी आदि विभिन्न प्रकार के पटाखे ।
- 4- जनपद में कुल गिरफ्तारी –(कुल-24)।

**मीडिया सेल
कुशीनगर।**